न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 23 / 2021 राजस्व अपील

1. रामजीलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र रामधन जाति ब्राह्मण निवासी भण्डारी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सिकराय एवं राजकीय अभिभाषक।**

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राज स्टोन क्रेशर मुकदमा नम्बर 1 / 2021 तारीख फैसला 7.1.2021 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 8.9.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का कालवान ने एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय के समक्ष इस आशय की पेश की कि रामजीलाल पुत्र रामधन जाति ब्राह्मण ने सम्वत 2077 खसरा नम्बर 134 कुल रकबा 26.30 है. में से 0.50 है. पर क्रेशर रोडी एवं गैर मुमकिन मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया एवं निर्णय इस आशय का पारित किया कि आराजी खसरा नम्बर 134 में पत्थर की रोडी डालकर कब्जा कर अतिक्रमण किया है। जिसकी पालना में अतिक्रमी का पुत्र राजेश उपस्थित आया। अपीलान्ट ने मकान बनाकर व स्टोन क्रेशर संचालित कर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमी के पास कोई स्वामित्व नहीं है। जिस पर अपीलान्ट को एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 7.1.2021 को अवैध रकबे से बेदखल कर शास्ति आरोपित कर निर्णय पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा निर्णय दिनांक 7.1.2021 के विरूद्ध अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। तहसीलदार सिकराय से अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.1.2021 विधि विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज स्टोन क्रेशर के मालिक को कोई नोटिस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जारी नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि स्टोन क्रेशर संचालित कर अतिक्रमण कर रखा है जबकि उक्त स्टोन क्रेशर खनिज विभाग द्वारा पट्टा व अनुमति लीज पर चल रही है। बिना पटवारी हल्का के बयान लिये निर्णय पारित कर उसी दिन मौके पर जाकर स्वयं द्वारा जप्ती एवं कुर्की की कार्यवाही की गई है जबकि निर्णय में भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को लिखा जाना अंकित किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील स्वीकार फरमायी जाकर नायब तहसीलदार सिकराय के निर्णय दिनांक 7.1.2021 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम कालवान तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन पहाड की भूमि खसरा नम्बर 134 कुल रकबा 26.30 है. में से 0.50 है. भूमि पर क्रेशर रोडी एवं गै. मु. मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमी के पास भूमि का कोई स्वामित्व नहीं है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 7.1.2021 को बेदखल कर शास्ति आरोपित कर दण्डित किया गया है। तहसीलदार सिकराय से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार भी ग्राम कालवान में आराजी खसरा नम्बर 134 गै. मु. पहाड की भूमि रकबा 26.30 है. में राज क्रेशर कालवान ने 0.50 है. पर अतिक्रमण कर रोडी डाल रखी थी जिसे कब्जेराज लिया गया था। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार सिकराय से मौके पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट का भी भली प्रकार से अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अतिक्रमी द्वारा मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकराय द्वारा मुकदमा नम्बर 1/2021 सरकार बनाम राज स्टोन क्रेशर में पारित निर्णय दिनांक 7.1.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज **दिनांक 8.9.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर** एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा